# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **85 / 2023** दायर दिनाँक **10.04.2023**

| वादीनी | | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. दुर्गादेवी उर्फ लालकी पत्नी हेमाराम जाति मेघवाल निवासी निनावटा तहसील डीडवाना | **बनाम्** | 1. तहसीलदार डीडवाना। |

**राजस्व–वाद बाबत्**
**घोषणा नाम संसोधन, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 88, 188, R. T.Act. 136 L.R. Act.**

**उपस्थित:–**

श्री प्रितम सिंह राठौड़ एडवोकेट वादी।

## –:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.07.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम निनावटा पटवार हल्का दौलतपुरा में खेत खसरा संख्या 63 रकबा 0.0200, खसरा संख्या 64 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, कुल रकबा 2.9500 हैक्टेयर, वादीनी के संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल व सहवन से वादीनी का नाम लालकी व गांव का नाम छोटीखाटू दर्ज कर दिया जबकि वादीनी का वास्तविक नाम दुर्गादेवी व उसके गांव का नाम निनावटा है जो सही व सत्य है। वादीनी के अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड में वादीनी का नाम दुर्गादेवी अंकित है। संयुक्त खातेदारी में सहवन से वादीनी का नाम व गांव का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी अभी हाल ही समय में होने से वादीनी का काफी कठिनाईयों का सामना करना पडा व वादीनी इन खेतों में अपना व गांव का सही नाम अंकित करवाने के लिए प्रतिवादी तहसीलदार के कार्यालय में गई तो वादीनी को कहा गया कि न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश करके घोषणा नाम व गांव के शुद्धिकरण रेकर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही करे अन्यथा इन खेतों पर से बेदखल कर दिये जावेंगे। जिसके कारण वादिनी के अधिकार खतरें मे पड गये है। इसलिए वादीनी की और से विरूद्ध प्रतिवादी यह वाद पत्र वादीनी के नाम व गांव के नाम में संशोधन, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का लाजमी आया है।

**वादीनी की प्रार्थना इस प्रकार है:–**

राजस्व ग्राम निनावटा पटवार हल्का दौलतपुरा में खेत खसरा संख्या 63 रकबा 0.0200, खसरा संख्या 64 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, कुल रकबा 2.9500 हैक्टेयर, भूमि में वादीनी के हक हिस्से में वादीनी के गलत नाम लालकी व गलत गांव के नाम छोटीखाटू हटाया जाने की घोषणा की जाकर वादीनी के सही नाम दुर्गादेवी व गांव का सही नाम निनावटा दर्ज की जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमावें।

Signature Not Verified

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर कि[illegible]लदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(7)[illegible] के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्[illegible] अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री[illegible] विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद निनावटा पटवार हल्का दौलतपुरा में खेत खसरा संख्या 63 रकबा 0.0200, खसरा संख्या 64 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, कुल रकबा 2.9500 हैक्टेयर भूमि में वादीनी अपना नाम लालकी के स्थान पर दुर्गादेवी व वादीनी के गांव का नाम छोटीखाटू के स्थान पर निनावटा दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रही है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार सरहद निनावटा के खसरा संख्या 63 रकबा 0.02 है. व खसरा संख्या 64 रकबा 2.93 है. भूमि सहखातेदारी दर्ज है जिसमें लालकी पत्नी हेमाराम जाति मेघवाल निवासी छोटीखाटू 8/59 हिस्सा में सहखातेदार दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 32 रकबा 18.04 बीघा था खातेदार लालकी पत्नी हेमाराम जाति मेघवाल निवासी छोटीखाटू का नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या 133 (बैचाणनामा) दिनांक 20.07.2025 से दर्ज हुआ है। लालकी के गांव का नाम छोटीखाटू सहवन से राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरकरण में वादीनी का नाम लालकी व गांव छोटीखाटू दर्ज हुआ है जबकि वादीनी गलत अंकन होने का कथन कर रही है। तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के अनुसार रेकर्ड का अंकन विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। वादीनी के पास विक्रय पत्र को संशोधन करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

वादीनी द्वारा तहसीलदार डीडवाना के समक्ष दस्तावेज संख्या 202501173003744 दिनांक 01.07.2025 विकय पत्र में संशोधन हेतु शुद्धि पत्र निष्पादित किया जा चुका है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन किये जाने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादीनी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

## —:: आदेश ::—

सरहद निनावटा पटवार हल्का दौलतपुरा में खेत खसरा संख्या 63 रकबा 0.0200, खसरा संख्या 64 रकबा 2.9300 हैक्टेयर, कुल रकबा 2.9500 हैक्टेयर भूमि में वादीनी नाम लालकी के स्थान पर दुर्गादेवी व वादीनी के गांव का नाम छोटीखाटू के स्थान पर निनावटा घोषित किया जाकर दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:24 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **24.07.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना